न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

==

अध्यासीन द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	पेश तिथि	निर्णय तिथि
127/342	13-12-04/15-3-13	25-9-19

उनवान

1- सुबहान पुत्र धोली जाति मेव

2- उमरदीन पुत्र धोली जाति मेव निवासी खिरका तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादीगण

बनाम

1- सचिव महोदय सिंचाई विभाग राज. सरकार जयपुर

2- मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग सिंचाई भवन जयपुर

3- एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (एक्सईएन) सिंचाई विभाग अलवर

4- सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग तिजारा जिला अलवर :- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:-1- श्री मुकेश सैनी एड. वादीगण की ओर से।

2- श्री हेमचन्द धामाणी एड. प्रति. की ओर से।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृत्तान्त निम्न प्रकार से हैं:- वादीगण ने वाद पेश किया कि दीगर आराजीयात सहित विवादित आ. खं. नं. 401/451/3-06 वाके ग्राम खिरका तहसील किशनगढ़-बास वादीगण के पिता धोली को अलोट की गई थी जिसका अमल जमाबन्दी सं. 2049 में पट्टेदार गैरखातेदारी का हो रहा है। पहले पिता वादीगण काबिज काश्त था उसके बाद वादीगण मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण ने भूमि की कीमत राज. सरकार में जमा कराया हुआ है।

राज्य सरकार ने खानपुर बांध के लिए सिंचाई विभाग के लिए कुछ भूमि ऐक्वायर की गई थी इन्तकाल नं. 200 सिंचाई विभाग के नाम दर्ज होकर अमल हो चुका है। खं. नं. 401/451/3-06 में से 2-10बीघा भूमि इन्तकाल सं. 200 में अंकित करदी गई। जो इन्तकाल वादीगण के हकूकों के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, प्रभाव शून्य है कलमजन योग्य है। जमाबन्दी सं. 2057 में सिंचाई विभाग के नाम का अमल करदिया गया जो अमल हजफ किये जाने योग्य है। इस भूमि की वादीगण ने ना तो कोई मुआवजा राशि प्राप्त की ना एक्वायर ही कीगई। सिंचाई विभाग के नाम गलतरूप से अंकन किया गया है।

—2—

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी के मौके पर वादीगण काबिज काश्त है फसल बोई हुई है। सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि बेजा रूप से वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं इसलिए वादीगण प्रति. को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रति0 निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

§1§ घोषित किया जावे कि आ.ख. नं. 401/405/3-06 में से 401/451 मि. रकबा 2-10बीघा वाके ग्राम खिदरका तहसील किशनगढ़-बास का पट्टेदार गैरखातेदार काश्तकार है।

§2§ करार दिया जावे कि इन्तकाल सं. 200 दिनांक 29-12-2000 बाबत आ.ख. नं. 401/451 प्रतिवादीगण के हक में दर्ज व स्वीकार किया गया है वह वादीगण के हकूकों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है प्रभाव शून्य है।

§3§ करार दिया जावे कि जमाबन्दी सं. 2057 व उसके बाद की जमाबन्दीयों में आ.ख. नं. 401/451 रकबा 3-06 में से 2-10बीघा पर प्रतिवादीगण के नाम का अंकन किया गया है वह प्रभाव शून्य है जिसे वादीगण दुरूस्त कराकर पूर्व इन्द्राज अनुसार पट्टेदार गैरखातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है।

§4§ प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें।

§5§ खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

§6§ दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि विवादित आराजी गैरखातेदारी की है। राज्य सरकार द्वारा जो भूमि सिंचाई विभाग हेतु एवं बांध बनाने हेतु ग्राम खनपुर मेवान में अवाप्त कर बांध बनाया है जिसका इन्तकाल नं. 200 सिंचाई विभाग के नाम दर्ज व मंजूर हुआ है उसे वादीगण किसी भी प्रकार से बेअसर करार दिलाने के अधिकारी नहीं है। ख. नं. 401/451 वाके खिदरका में से रकबा 2-10बीघा सिंचाई विभाग के नाम दर्ज हो चुकी है। बांध हेतु जितना रकबा अवाप्त किया गया था उसकी बाबत विधिवत नोटिस जारी होने के बाद मुआवजा की कार्यवाही करके इन्तकाल दर्ज किया गया है जितनी भूमि में पाल बनानी थी उतनी भूमि अवाप्त की जाती है शेष भूमि काश्तकार को कृषि प्रयोजन हेतु छोड़ दी जाती है। विधिवत अवाप्ति कार्यवाही की गई है।

Scanned by CamScanner

राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन एवं जनहित के मद्देनजर एवं जनहित के पक्ष में करायी जाने वाली योजनाओं के आधार पर भूमि को विधिवत नोटिस एवं अधिसूचना बाबत अधिग्रहण पूर्ण करने के बाद कोई उज्रदारी नहीं आने पर भूमि को अवाप्त किया गया है। बांध बनाने हेतु विधिवत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आने पर ही कार्य कराया जाता है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं की गई है।

वादीगण मुताबिक आराजी के पट्टेदार गैरखातेदार है जिन्होंने बिना हक खातेदारी प्राप्त किये मौजूदा वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने का हक प्राप्त नहीं है। इसलिए वाद वादीगण खारिज योग्य है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को दावा दायरी से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यकता नोटिस ना दिये जाने के अभाव में वाद खारिज योग्य है। वादी किसी भी प्रकार से वाद लाने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात् तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। वादीगण ने साक्ष्य में सुखराम पी.डब्ल्यू. 1 के बयान कराये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सं. 2049 प्रदर्श 1, नकल इन्तकाल नं. 200 प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सं. 2057 प्रदर्श 3 पेश किये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य में पूरण कुमार सहायक अभियन्ता डी.डब्ल्यू. 1 के बयान कराये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मुआवजा कमेटी प्रदर्श डी. 2 व सहमति पत्र की प्रति. पेश की है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है।

<u>तनकीह सं. 1 :-</u>

---------- आया आ.ख.नं. 401/451/3-06 वाके ग्राम बिहरवा वादीगण की गैरखातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर वादीगण निरन्तर काबिज काश्त हेतु इस तनकीह का भार वादीगण पर था। नकल जमाबन्दी सं. 2057 प्रदर्श 3 के अनुसार विवादित आ.ख.नं. 401/451 का रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं. 2049 प्रदर्श 1 में विवादित आराजी वादीगण की पट्टेदारी गैरखातेदारी में दर्ज है जिससे साबित है कि यह भूमि सिंचाई पट्टेदारी की आवंटित हुई आराजी थी जिस पर खातेदारी अधिकार नियमानुसार कीमत जमा राजकोष में जमा कराये जाने के ही उपरान्त दिये जा सकते हैं। कब्जे काश्त की बाबत वादीगण ने कोई ठोस दस्तावेजी पेश नहीं जिसके अभाव में यह नहीं कहा

—4—

Scanned by CamScanner

था कब्जा की विवादित आराजी पर फसल काश्त हो रही है। वादीगण ने कब्जे काश्त बाबत कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया ना ही कोई स्वतन्त्र गवाह पेश किया। वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अत: यह तनकी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 2:- आया विवादित आराजी का कोई रकबा सिंचाई विभाग द्वारा ना तो अवाप्त किया गया ना ही कोई मुआवजा वादीगण को दिया गया? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र प्रदर्श । के साबित है कि वादी मुख्यन ने आ. ख. नं. 178/440 व 401/451 का मुआवजा 20000/=प्रति बीघा की दर से लेने की सहमति दी है जिस सहमति पत्र पर सरपंच ग्राम पंचायत उमरदीन पुत्र घोसी व पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है। जिससे साबित है कि यह भूमि सिंचाई विभाग हेतु अवाप्त की गई है। यह निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि है जिसका कीमत कर्जा वादीगण जमा नहीं कराया इसलिए वह मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। यह तनकी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 3:-आया आराजी विवादित में से रकबा 2-10बीघा सिंचाई वि० के नाम गलतरूप से अंकित करदिया जिसे दुरुस्त कराकर वादीगण अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये। इन्तकाल नं. 200 सक्षम अधिकारी के आदेश क्र:भू अ. /2000/719 दिनांक 23-4-2000 के अनुसार दर्ज किया जाकर स्वीकृत हुवा है जिसमें कोई खामी नहीं है। इसलिए यह तनकी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 4:-आया वादीगण प्रति. को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। जब तनकी नं. 1. 2. 3 को ही वादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं तो यह तनकी स्वत: वादीगण के विरुद्ध जाती है जिस पर कोई विवेचन किये जाने की आवश्यकता नहीं रही है। यह तनकी भी विरुद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 5:- आया आराजी विवादित नियमानुसार बांध की पाल निर्माण हेतु अवाप्त की गई है। और अवाप्ति के आधार ही इन्तकाल नं. 200 दिनांक 29-12-2000को सिंचाई विभाग के नाम दर्ज हो मंजूर होकर अमल रिकार्ड में हुवा है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र एवं नकल इन्तकाल नं. 200 के अवलोकन से साबित है कि

—5—

विवादित आराजी विधिवत् अधापा की जाकर ही सिंचाई विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। जिस आराजी से वादीगण का कोई संबंध दो सरोकार नहीं है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 6 :- आया वाद वादीगण काननन चलने योग्य नहीं है काबिल खारिज है? इस तनकी का भार भी प्रतिवादीगणों पर था। वादीगण द्वारा यह वाद सरकार के विरूद्ध दायर किया है वादी को काननन वाद दायर करने से पूर्व धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना चाहिये था इसलिए वादीगण का वाद दोषपूर्ण है। साथ ही आराजी विवादित निष्क्रान्त भूमि के बारे में दायर किया है जो काननन चलने योग्य नहीं है। यह तनकी बहक प्रतिवादीगणों तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचन से वाद वादीगण कतई साबित नहीं होता है। वाद वादीगण काबिल खारिज है।

अत: आदेश है कि :-

वाद वादीगण बाबत आ.ख. नं. 401/451/ रकबा 2बीघा 10बिस्वा वाके ग्राम बिदरका तहसील किशनगढ़-बास सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास {अलवर}

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अ

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
25-9-19	पत्रावली पेश हुई कबीर वादी अपना दावा वादी सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से प्रसारित किया गया। पत्रावली बाद तै तैयार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

Scanned by CamScanner